

प्रेस नोट

कारखाना/व्यवसाय/दुकान आदि को नियमित करने की उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1981 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है। कारखाने/व्यवसाय/दुकानों आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से विज्ञापित संख्या 651/23-212/96-98 दिनांक 21 अप्रैल, 1999 की संशोधित निम्न उपविधियां बनायीं हैं, जिनका अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन प्रकाशित किया जा रहा है। यदि किसी को इस सम्वन्ध में जिला पंचायत, गौतमबुद्धनगर की बोर्ड बैठक दिनांक 01.11.2014 के प्रस्ताव संख्या 3(5) अनुसार कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति लिखित रूप में पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला पंचायत, गौतमबुद्धनगर को प्रेषित कर सकते हैं।

धारा 44-कारखाने, व्यवसाय, दुकानों, संग्रह केन्द्रों एवं संस्थानों आदि को अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क/नवीनीकरण शुल्क देय होगा -

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान प्रमाणी दरें	प्रस्तावित संशोधित दरें
1	कार अथवा चोपहिया बनाने की फैक्ट्री	100000	200000
2	दुपहिया बनाने की फैक्ट्री	50000	100000
3	चीनी मिल	10000	50000
4	रेशम व कपड़ा बनाने की फैक्ट्री	2500	7500
5	सरस मिल	5000	12500
6	सरिया मिल	5000	25000
7	पाइप मिल	5000	17500
8	हटडी मिल	5000	17500
9	रिड्फोस्टर्ड कंकीट ह्यूमपाइप बनाने का कारखाना	5000	17500
10	डिस्टिलरी तथा मादक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री	10000	50000
11	कोल्ड स्टोरेज	5000	15000
12	कागज बनाने का मिल	5000	15000
13	रबड़ टायर, ट्यूब बनाने की फैक्ट्री	5000	15000
14	चिलिंग प्लांट	3000	10000
15	दुग्ध पैकिंग	2000	8000
16	अंग्रेजी शराब की दुकान	5000	10000
17	देशी शराब की दुकान	5000	7000
18	बीयर की दुकान	5000	6000
19	मॉडल शॉप	—	12500
20	अफीम गांजा भाग ताड़ी डोडे गोस्त की दुकान	—	2000
21	बैकट हॉल/लाजिक हॉम (नरिज हॉम)	—	15000
22	भूसा एवं चारे की टाल	—	500
23	सार्वजनिक नर्सरी	—	1000
24	नुरगी फार्म	—	2000
25	सीमेन्ट कंकरीट की ज़ारी (पिलर एवं गटर डक्कन)	—	2000
26	पटाखे आतिशबाजी बनाना एवं बेचना	—	2000
27	रंग रोगन एवं कलई पेंट्स पलास्टर आदि की दुकान	—	1500
28	पेन्ट बनाने की फैक्ट्री	—	25000
29	मशीन तथा यंत्र बनाने का कारखाना	2000	10000
30	सलफर प्लांट	1000	5000
31	पेट्रोल पंप	1000	4000
32	दवाई व रासायनिक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री	2000	7000
33	सिनेमा	2000	7000
34	मिनी सीमेन्ट प्लांट	2000	7000
35	दाल मिल	1000	2500
36	वर्क बनाने का कारखाना	1000	2500

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर

37	धान से चावल निकालने का कारखाना अथवा सेलर		
38	तेल निकालने का कारखाना	1000	2500
39	नमक बनाने का कारखाना	1000	2500
40	धर्मकांटा	500	1500
41	गन्ना पेरने का पट्ट केशर	500	1500
42	पोटरी मैनुफैक्चरिंग, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना	200	700
43	गत्ता अथवा गत्ता पैकिंग बनाने का कारखाना	500	1500
44	साबुन फैक्टरी	500	1500
45	पट्टा बनाने की फैक्टरी	500	1500
46	बिजली का सामान बनाने की फैक्टरी	500	1500
47	टिन का सामान बनाने की फैक्टरी	500	1500
48	ऊन तैयार तथा उससे वस्त्र बनाने का कारखाना	500	1500
49	कपड़ा छपाई व रंगाई का कारखाना	500	1500
50	पेय पदार्थ बनाने की फैक्टरी	1000	2500
51	गन्धक व कलमीशीस बनाने की फैक्टरी	400	1250
52	वेकरी	400	3000
53	कांच का सामान बनाने की फैक्टरी	300	1000
54	पत्थर व ईंट की रोली तथा पीसने का कारखाना	500	1500
55	खड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	500	1500
56	सर्वे व ड्राइंग के यन्त्र बनाने का कारखाना	500	1500
57	पलोर मिल	2000	5000
58	व्यायामशाला/आधुनिक जिम (500 सदस्यों से अधिक)	---	50000
59	व्यायामशाला/आधुनिक जिम (500 सदस्यों से कम)	---	10000
60	बॉडी मसाज स्पा सेंटर	---	25000
61	एक्सकेलर/अन्य ढलाई कार्य (कारिस्टिंग) कारखाना	---	10000
62	प्लास्टिक की पाईप बनाने का मील (2 इंच से बड़ा पाईप)	---	25000
63	प्लास्टिक के सिंटेक्स बनाने का मील (पानी की टंकी)	---	25000
64	लोहे के गाटर बनाना	---	25000
65	लोहे के पाईप (जरूरी लोहा भिक्स)	---	10000
66	वी बैल्ट एवं फैन बैल्ट बनाना	---	2000
67	पट्टा बनाना	---	25000
68	ऐंगल पत्ती बनाने का कारखाना	---	10000
69	हैन्डी कापट का सामान बनाना	---	50000
70	राईस मिल बड़ा	---	10000
71	राईस मिल छोटा (पाँच शैलर मशीन वाला)	---	3000
72	चावल मशीन (शैलर-1)	---	20000
73	फौम एवं गद्दे शीट बनाने का कारखाना	---	10000
74	राख की सपलाई एवं पैकिंग कार्य	---	5000
75	रेगमाल बनाने का कारखाना	---	5000
76	टेप बनाने का कारखाना (ऐधेशिव)	---	25000
77	बैटरी गलाना एवं जरूरी की सिल्ली बनाने का कारखाना (मैटल)	---	50000
78	3 स्टार से लेकर 5 स्टार होटल	---	20000
79	3 स्टार से नीचे वाले होटल	2000	3000
80	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाने (कूटीर उद्योग)	3000	5000
81	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाने (लघु उद्योग)	---	15000
82	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाने (बृहत उद्योग)	---	20000
83	अन्य व्यवसाय/संस्थाएँ/गोदाम जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं आते	---	20000
84	मिक्सिंग प्लांट आर0सी0एम0	500	1500
85	दूध डेरी बड़ी	100	1000
86	दूध डेरी छोटी	100	1000
87	मावा बनाना	500	1000
88	पनीर बनाना	100	1000
89	आईसक्रीम बनाना	200	1000
90	खाद मशीन पावर		

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गौतमगुडनगर

91	खाउ मशीन दस्त		
92	बड़ा कोल्ड (एक नम)	50	500
93	आरा मशीन (एक)	50	500
94	खराद मशीन (एक)	500	2000
95	मिस्ट्री	500	1000
96	रोफ व सन्दूक बनाना	50	300
97	निजि पादिका स्कूल	100	1000
98	पावरलूम (प्रति मशीन)	300	1000
99	कोरला तथा राख से टिकरी बनाना	100	1000
100	कोल डिपो	200	1000
101	सिमेन्ट तथा खाद एजोन्सी	200	1000
102	भूरी फार्म	100	1000
103	बैड बाजे की दुकान	200	1000
104	टैन्ट व पानीचर की दुकान	100	500
105	खड़ड़ी व हैण्डलूम	200	1000
106	लोहे व हाईवेयर की दुकान	50	500
107	कपड़ा, परचून, मेडिकल स्टोर	100	1500
108	किराना	50	1000
109	स्वर्णकार आभूषण (मरम्मत)	50	2000
110	सोने चांदी की दुकान	100	500
111	स्टेशनरी, पुस्तक व कॉपी	50	2000
112	होटल अथवा हलवाई	50	500
113	घी व तेल की दुकान	50	500
114	बिजली की मोटर व पंखे बांधना	50	1000
115	आटा चक्की	50	200
116	तेल निकालने का स्पेलर	50	200
117	धान मशीन छोटी	50	500
118	रुई धुनने की मशीन	50	500
119	कपास से बिनौला निकालने की मशीन	100	1000
120	प्लास्टिक अथवा नाइलोन की वस्तुएं बनाना	100	2000
121	लकड़ी की दुकान	100	200
122	आढ़त की दुकान	50	500
123	विजली के सामान की दुकान	50	1000
124	भवन निर्माण व सेटिंग की दुकान	50	1000
125	सस्ते गल्ले की दुकान	50	500
126	वर्तन की दुकान	50	500
127	जनरल स्टोर	25	500
128	चाय व पानी, बीड़ी की दुकान	200	400
129	मोटर गैरेज अथवा वर्कशॉप	500	1500
130	मीट की दुकान जिसमें गाय वंश का मांस न बेचा जाए	100	5000
131	वेल्डिंग मशीन	100	1000
132	नल टयूबल सवरसेवल वॉरिंग करना	---	1000
133	खड़ड़ी हस्तचलित	---	500
134	रॉबिस स्टेशन एवं वर्कशॉप	---	2000
135	टी0000, फ्रीज, एल0000000, वाशिंग मशीन, घड़ी का सोरुम	---	2000
136	लॉक के कतारन आदि का भण्डारन	---	1000
137	कपड़ा सिलाई की दुकान	---	500
138	यकूटर मोटर साइकिल की मरम्मत की दुकान	---	500
139	बस ट्रक बाकी गैर	---	5000
140	अण्डा बेचने की दुकान	---	500
141	गैस फूला, गैसोमोबा, रेलवे कोकरी बेचने का शगान की दुकान	---	500
142	चरगी की दुकान	---	500
143	चूड़ियों की दुकान	---	500
144	गैस रॉबिस एवं गैस गोदाम	---	10000


 उपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर

145	फर्सी काटा या धर्म काटा		
146	कमीशन ऐजेन्ट या ट्रांसपोर्ट ऐजेन्सी	---	2000
147	स्कूटर मोटर साइकिल मोपेड ऐजेन्सी	---	5000
148	कार ऐजेन्सी/वर्कशॉप	---	5000
149	इमारती लकड़ियों से पेटी एव व्हील बनाने का कारखाना	---	10000
150	बिजली के केबल बनाने का कारखाना	---	3000
151	ढाया, रोटी बनाने का दुकान	---	10000
152	हकीम वैद्य या डाक्टर की दुकान	---	800
153	नर्सिंग होम या प्रसूति गृह	---	1000
154	जूते की दुकान	---	1500
155	बांस बल्ली/चाली की दुकान	---	700
	अन्य व्यवसाय, जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं आये हैं	---	500
			2000

जिला पंचायत, गौतमबुद्धनगर को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुई आय का 20 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष निर्धारित वसूली स्थल से संबंधित क्षेत्रान्तर्गत में जन विकास कार्यों में जिला पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 1000 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

निरसन

मॉडल उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से संबंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेगी।

(प्रदीप कुमार)

अपर मुख्य अधिकारी,

जिला पंचायत, गौतमबुद्धनगर।

दिनांक 25, नवम्बर, 2014

पत्रांक 1026 / जि0पं0गौ0 / 2014-15

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक प्राधिकरण, सेक्टर-6, नोएडा।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वृहत्तर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-2, गामा, ग्रेटर नोएडा।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पी0-2, ग्रेटर नोएडा।
4. कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, गौतमबुद्धनगर।
5. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण को उपरोक्त विज्ञापित, एक अंक में कम से कम स्थान में शासकीय दर पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु समाचार पत्र की 3 प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध करावें।

(प्रदीप कुमार)

अपर मुख्य अधिकारी,

जिला पंचायत, गौतमबुद्धनगर।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर